

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-149/2019

1. सुधीर ढाका पुत्रगण श्री सतपाल जाति जाट निवासीयान् मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. अजय कुमार पुत्रगण श्री सतपाल जाति जाट निवासीयान् मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

-----वादीगण

बनाम

सतपाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

----- प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल सिडाना, वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नरेन्द्र चिनियां, प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी संख्या-1 सुधीर ढाका चक नम्बर 3 एम.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-75/19 प0न0 182/328 (23) कि0न0 11 ता 15 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 1.265 है0 कृषि भूमि का व वादी संख्या-2 अजय कुमार चक नम्बर 3 एम.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-75/19 प0न0 182/328 (23) कि0न0 6 ता 10 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 1.265 है0 कृषि भूमि का का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्रतिवादी का नाम खाता हाजा से कलमजन किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 13-08-2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
जमाबंदी अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
पटन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी